(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART-IV-EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REV-I) DEPARTMENT
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

No.F.10(2)/Fin.(Rev-1)/2012-13/DS III/407 Dated: the 16/5 2012

NOTIFICATION

No.F.10(2)/Fin.(Rev-1)/2012-13.- In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act,2009(Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Excise Rules,2010, namely:-

1. **Short Title and Commencement** .-(1). These rules may be called the Delhi Excise (Second Amendment) Rules,2012.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette
2. **Amendment of rule 152.** - In the Delhi Excise Rules, 2010(herein after referred as 'principal rules'), in rule 152, in sub-rule(1), after the table in clause(iii), the following proviso shall be inserted, namely :-
   " Provided that the rate of duty payable in respect of Beer manufactured by Microbrewery shall be @ Rs.15/- per bulk litre.".

3. **Amendment of rule 154.-** In the principal Rules , in rule 154, in sub-rule (2), in the table 'licence fees for other categories of licences', the row at S.No. 13 , shall be substituted, by the following namely:-

"

13	32(1)	L-11	Retail Vend of Beer, manufactured by Microbrewery	Rs.250000/- for installed capacity upto 500 litres per day. Rs.500000/-for installed capacity of more than 500 litres and upto 1000 litres per day.

"

4. **Insertion of Form L-11.-** In the principal Rules, in the forms appended thereto, after Form L-10, the following new form shall be inserted, namely:-

16/5/12
AC (Policy / IMFL)

16/5/12
DS (IMFL)

FORM L-11
{ rules 32 & 66(19) }

1. Category of licence	L-11 (Retail vend of Beer manufactured by Microbrewery)
2. Registration number	____________
3. Name of company/ firm / individual	____________
4. Name of the director/proprietor/ partner	____________
5. Address of L-11 vend	____________
6. Hours of sale	____________
7. Licence fee	____________
8. Validity upto	31.03.20___
9. Date of issue	____________

Conditions:-

The Licence is granted subject to the provisions of the Delhi Excise Act,2009, the Rules framed thereunder, the terms and conditions of licence and the instructions issued by the licensing authority from time to time.

Deputy Commissioner

"

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(S. K. KAMRA)
Deputy Secretary-III (Finance)

No. F.10(2)/Fin.(Rev-1)/2012-13/DSIII/907 Dated: 16/5/2012

Copy to:-

1. The Secretary(GAD), Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in the Delhi Gazette Part-IV in today's date.
2. The Excise Commissioner, GNCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi.
3. Secretary to Finance Minister, Govt. NCT of Delhi.
4. The Joint Secretary(L&J), GNCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
5. P.A. to Hon'ble Leader of Opposition, Delhi Legislative Asssemble, Old Sectt., Delhi.
6. Guard file.
7. Web site.

(S. K. KAMRA)
Deputy Secretary-III (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व–1) विभाग
चौथा तल, ए–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली–110 002.

सं0फा0: 10(2)/वित्त (राज0–1)/2012–13/ 5(?)/ 407 दिनांक: 16/5/2012

अधिसूचना

सं0फा0 10(2)/वित्त (राज0–1)/2012–13/ .– दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिये निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः–** (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जायेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **नियम 152 का संशोधन :–** दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 (यहां बाद में "मूल नियमावली" के रूप में उल्लिखित) के नियम 152 के उपनियम (1) में, तालिका के बाद खंड (iii) में निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किया जायेगा:–

" शर्त यह है कि माइक्रोब्रेवरी द्वारा निर्मित बीयर के संबंध में देय शुल्क की दर 15रुपये प्रति बल्क लीटर होगी।"

3. **नियम 154 का संशोधनः–** मूल नियमावली के नियन 154 के उपनियन (2) की तालिका में "लाइसेंसों की अन्य श्रेणियों के लिये लाइसेंस शुल्क" क्रम संख्या 13 की पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा:–

"

13	32(1)	एल–11	माइक्रोब्रेवरी द्वारा निर्मित बीयर का खुदरा विक्रय केन्द्र	प्रतिदिन 500 लीटर तक स्थापित क्षमता के लिये 2,50,000/–रुपये। प्रतिदिन 500 लीटर से अधिक तथा 1000 लीटर तक स्थापित क्षमता के लिये 5,00,000/–रुपये ।

"

4. **फार्म एल–11 का समावेशन** :– मूल नियमावली के साथ संलग्न फार्मों में फार्म एल–10 के बाद निम्नलिखित नया फार्म सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्:–

फार्म एल–11
(नियम 32 एवं 66(19))

1	लाइसेंस की श्रेणी	एल–11 (माइक्रोब्रेवरी द्वारा निर्मित बीयर का खुदरा विक्रय केन्द्र)
2	एंजीकरण संख्या	
3	कंपनी/फर्म/व्यक्ति का नाम	
4	निदेशक/स्वामी/पार्टनर का नाम	
5	एल–11 विक्रय केन्द्र का पता	
6	बिक्री का समय	
7	लाइसेंस शुल्क	
8	कब तक वैध है	31.3.20.....
9	जारी करने की तिथि	

शर्ते :– दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009, इसके अन्तर्गत बनाई गयी नियमावली के उपबंधों, लाइसेंस की शर्तों तथा समय–समय पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार लाइसेंस जारी किया जाता है।

उपायुक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(एस0 के0 कामरा)
उप– सचिव –III (वित्त)

सं फा: 10(02)/वित्त (राज0–1)/2012–13/ दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :–

1. प्रधान सचिव, (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग–चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
2. आयुक्त आबकारी, एल एंड एन–ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव, (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. नि.स. माननीय नेता प्रतिपक्ष, दिल्ली विधानसभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
6. गार्ड फाईल ।
7. वेबसाइट ।

(एस0 के0 कामरा)
उप– सचिव –III (वित्त)